



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27044

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 10285/2024

कमलेश यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनुप कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप कुमार श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव को सुना।
2. चूंकि पक्षकारों के बीच प्रति-शपथ पत्र और प्रत्युत्तर-शपथ पत्र का आदान-प्रदान हो चुका है, और वे कोई अन्य शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, अतः रिट याचिका को नए स्तर पर निर्णीत किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 31.07.2004 को होमगार्ड के पद पर नियुक्त किया गया था, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को 12.12.2023 को एक कारण बताओ सूचना जारी की गई थी कि इस तथ्य के आलोक में कि वह एक हिस्ट्रीशीटर है, उनकी नियुक्ति क्यों न रद्द कर दी जाए। रिट याचिकाकर्ता ने अपना उत्तर प्रस्तुत किया और उसके बाद अब, जिला कमांडेंट, होमगार्ड, देवरिया द्वारा 12.02.2024 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।
4. इसी को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता कि 5 मामलों में से, रिट याचिकाकर्ता को मुकदमा संख्या 304/2005, धारा 394, 411 आईपीसी और मुकदमा संख्या 533/2005, धारा 307 आईपीसी सहपठित धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में बरी किया जा चुका है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अब, शासनादेश दिनांक 18.12.2023 के खंड-5, 6 और 8 को 'अल्ट्रा वायर्स' घोषित कर दिया गया है और इस प्रकार इस संबंध में मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। निर्देशों के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करेंगे और उसे इस न्यायालय के रिट-ए संख्या 16186/2024, महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दिनांक 21.8.2025 को निर्णीत, के निर्णय के अनुसार सख्ती से तय करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश में ही अपील का प्रावधान है और एक बार जब रिट याचिकाकर्ता महेश सिंह (उपर्युक्त) के निर्णय का सहारा लेते हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा।
7. अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों और रिट याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए इस रुख पर विचार करते हुए कि रिट याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेंगे, रिट याचिकाकर्ता को महेश सिंह (उपर्युक्त) के निर्णय के लाभ सहित कानूनी और तथ्यात्मक आधार लेते हुए 27.02.2026 तक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, और यदि ऐसी अपील दायर की जाती है, तो उसे तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णीत किया जाएगा।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"